छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–09 / रेरा / 2018 / 609 रायपुर, दिनांक 11 / 10 / 2018

/ / आदेश / /

विषय :– प्रमोटर्स द्वारा प्रोजेक्ट साईट पर, प्रोजेक्ट्स के अनुमोदित प्लान / ले–आऊट प्लान प्रदर्शित करने के संबंध में।

––00––

माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा "फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध द स्टेट इंर्फोमेशन कमिश्नर, ग्रेटर मुंबई व अन्य" के सिविल अपील नंबर 9064–9065 / 2018 में पारित आदेश में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है –

"34. In the end, we would like to say that keeping in mind the provisions of RERA and their objective, the developer should mandatorily display at the site the sanction plan. The provision of sub-section (3) of Section 11 of the RERA require the sanction plan/layout plans along with specifications, approved by the competent authority, to be displayed at the site or such other places, as may be specified by the Regulations made by the Authority. In our view, keeping in mind the ground reality of rampant violations and the consequences thereof, it is advisable to issue directions for display of such sanction plan/layout plans at the site, apart from any other manner provided by the Regulations made by the Authority. This aspect should be given appropriate publicity as part of enforcement of RERA."

माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारित उक्त आदेश के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमोटर्स को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है –

1. प्रमोटर्स को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान / ले–आऊट प्लान (समस्त Specifications सहित) बोर्ड लगाकर प्रत्येक प्रोजेक्ट की साईट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान / ले–आऊट प्लान को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड प्रोजेक्ट के मुख्य प्रवेश द्वार या साईट कार्यालय के सामने या प्रोजेक्ट के किसी ऐसे प्रमुख स्थल पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा, जहाँ सहज रूप से इसे देखा जा सके। बोर्ड का आकार, अक्षरों की लिखावट तथा नक्शों का आकार इस प्रकार का हो कि उन्हें आसानी से पढ़ा व समझा जा सके।
3. प्रमोटर्स को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान / ले–आऊट प्लान (समस्त Specifications सहित) की प्रति साईट कार्यालय / बुकिंग कार्यालय में भी आबंटितियों के अवलोकन के लिए रखना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

11/10/18

(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.